

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

[केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड]

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, तारीख 5 फरवरी, 2019

सा.का.नि..... (अ).- भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्याक सा.का.नि. 62(अ), तारीख 29 जनवरी, 2019 द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 02/2019-केन्द्रीय कर, तारीख 29 जनवरी, 2019, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:--

- i. पृष्ठ 1 की पंक्ति 9 में "धारा 8 के खंड (ख)," के स्थान पर "धारा 8 के खंड (ख), धारा 17, धारा 18," पढ़ें।

[फा0 सं0 20/06/16/2018-जीएसटी (भाग I)]

(गुंजन कुमार वर्मा),
अवर सचिव, भारत सरकार